

कार्यालय—महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, 09, जगत नारायण रोड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विज्ञापन संख्या—मा०शि०क०/स्वा०कार्य०(महिला)/नियुक्ति/2016/6317

दिनांक—01 दिसम्बर, 2016

पद का नाम—स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)

आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि—30 दिसम्बर, 2016 (सायं काल 6 बजे तक)

आवेदन प्रेषित किये जाने का पता—महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, 09 जगतनरायण रोड, लखनऊ—226003, उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या—2139/5-10-2016-डब्लू-13/2013 दिनांक—16 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या—2742/5-10-2016-डब्लू-13/2013 दिनांक—30 नवम्बर, 2016 के कम में परिवार कल्याण/मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 5628 पदों पर वेतनमान रूपया 5200—20200 ग्रेड वेतन रूपया—2000 में चयन के लिए निम्नलिखित अईताएं पूर्ण करने वाले भारत के नागरिकों से तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते हैं।

रिक्तियों का विवरण:—

चयन कार्यवाही हेतु प्राधिकारी	विभाग	कुल रिक्तियां	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
महानिदेशक, परिवार कल्याण	परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, उत्तर प्रदेश	5628	3564	775	880	409

नोट—उपरोक्त रिक्तियां संवर्ग की कुल पदों की संख्या—23656 के सापेक्ष श्रेणीवार रिक्त पदों के आधार पर हैं।

अईताएँ:—

1. उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाईफ काउंसिल, लखनऊ द्वारा संचालित डेढ़ वर्ष (वर्तमान 2 वर्ष) का बेसिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स (जिसमें छ: माह का प्रसव प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो) सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो एवं उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाईफ काउंसिल, लखनऊ में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो।
2. उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला/पुरुष) सेवा नियमावली 1997 यथा संशोधित 1998 एवं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरुष) प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश 2007 एवं संशोधित अनुदेश 2012 में इस पद हेतु निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तालिका में दिये गये अवधि के अनुसार शैक्षिक योग्यता होना भी आवश्यक है—

'उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता /स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) सेवानियमावली—1997 यथा संशोधित नियमावली—1998 के अनुसार	दिनांक—10 सितम्बर 1998 से 02.12.2007 तक	जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटर्मीडिएट परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण की हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो,
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरुष) प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश—2007 के अनुसार	दिनांक—03.12.2007 से 11.11.2012 तक	जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटर्मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो,
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला/पुरुष) प्रशिक्षण विनियमन अनुदेश—2007 यथा संशोधित 2012 के अनुसार	दिनांक—12.11.2012 से अबतक	जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटर्मीडिएट परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण की हो, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

अधिमानी अईताएँ:—

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने

क.—टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या

ख.—राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु सीमा—

अभ्यर्थी 01 जुलाई, 2016 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक न हो।

क.—परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की गई है, के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में उत्तरे वर्ष की छूट अनुमन्य होगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

चयन प्रक्रिया:—

अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला/पुरुष) सेवा नियमावली 1997 यथा संशोधित 1998 तक) के संगत प्राविधिकों के अनुसार किया जायेगा।

महत्वपूर्ण अनुदेशः—

1. आवेदन केवल स्वारक्ष्य कार्यकर्ता (महिला) का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं द्वारा ही भरा जाये।
2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरकर समस्त संलग्नकों सहित पंजीकृत/स्पीड-पोस्ट डाक द्वारा भेजना होगा, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. भरे हुए आवेदन पत्र की दो प्रतियां आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखनी होंगीं जो चयन प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।
4. यह आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से ए4 आकार के कम से कम 70 जी0एस0एम0 कागज पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। फोटो, पत्र व्यवहार का पता तथा अभ्यर्थी के नाम व अन्य विवरण हेतु बने बॉक्स के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
5. विज्ञापित पदों की श्रेणीवार सीटों की संख्या एवं सीटों की कुल संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तित हो सकती है।
6. चयन हेतु अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम—1994 एवं समय—समय पर संशोधित नियमों के अनुसार) आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
7. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ₹0—100/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ₹0—50/- केवल भारतीय डाक विभाग के पोस्टल आर्डर के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो कि महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम से देय होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा।
8. केवल जन्म या अधिवास से ही भारतीय नागरिक पात्र होंगे, जो अभ्यर्थी अधिवास से ही भारतीय नागरिक होने का दावा करते हैं, उन्हें पात्रता प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
9. जो अभ्यर्थी केन्द्र अथवा राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने सेवायोजक से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. किसी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जायेगा।
11. आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता संबंधी हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, दो पासपोर्ट आकार फोटो स्वप्रमाणित, दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा पृथक—पृथक निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में, आवेदन पत्र के साथ 10x23 सेमी0 का एक लिफाफा जिसपर स्पीड-पोस्ट के ₹0—39/- का डाक टिकट लगाकर अपना पूरा नाम व स्पष्ट पता एवं पिन नम्बर सहित अंकित हो संलग्न करें।
12. स्वारक्ष्य कार्यकर्ता (महिला) के प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं सभी सेमेस्टर/वर्ष के अंक पत्र जिसमें आवेदक उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण हुई हो संलग्न करना अनिवार्य है।
13. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाणपत्र पिता पक्ष की तरफ से (आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा) संलग्न करना अनिवार्य है।
14. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
15. आवेदन पत्र के लिफाफे पर “स्वारक्ष्य कार्यकर्ता (महिला) के चयन हेतु आवेदन” अंकित करना अनिवार्य है। तथा आवेदक किस श्रेणी में आवेदन कर रहा है (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जन जाति अथवा अनुसूचित जन जाति) स्पष्ट रूप से लिफाफे के सबसे ऊपर दाहिने तरफ अनिवार्य रूप से अंकित करें।
16. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
17. अपूर्ण भरे आवेदन, बिना आवेदन शुल्क, बिना संबंधित आवश्यक अभिलेख के संलग्न किये गये, आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
18. डाक—तार विभाग द्वारा आवेदन पत्रों के प्रेषण में किए गये विलम्ब हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
19. अभ्यर्थियों को अर्ह अथवा अनर्ह होने तथा चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय मान्य होगा।
20. विज्ञापन जारी होने के पश्चात चयन प्रक्रिया सम्पन्न होने के पूर्व यदि मा० न्यायालय अथवा उत्तर प्रदेश शासन से कोई आदेश प्राप्त होंगे तो तदानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी, जो सर्वमान्य होगी।
21. सभी मूल प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. किसी विवाद की स्थिति में मा० न्यायालय का निर्णय ही सर्वोच्च होगा।

महनिदेशक
परिवार कल्याण

आवेदन पत्र का प्रारूप

विभाग का नाम—परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(पद का नाम—स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला))

विज्ञापन संख्या—

(1) क—आवेदक का नाम (हिन्दी में)

ख—आवेदक का नाम (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) पिता का नाम (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) अभ्यर्थी का राष्ट्रीय पता (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pin Code

(4) अभ्यर्थी की वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pin Code

(5) राष्ट्रीयता—

कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित हो)

--	--

--	--

--	--	--	--

(6) गृह जनपद—

(7) जन्म तिथि (जैसा

(8) जन्म तिथि शब्दों में—

(9) दिनांक एक जुलाई, 2016 को आयु

वर्ष	माह	दिन

(10) शैक्षिक योग्यता—

क्र0सं0	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	किस वर्ग से परीक्षा उत्तीर्ण (विज्ञान वर्ग / कला वर्ग)
1	हाईस्कूल						
2	इण्टरमीडिएट						
3	अन्य योग्यता						

(11) उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाईफ काउंसिल, लखनऊ द्वारा सचालित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण कोर्स का विवरण—

क्र0 सं0	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण अवधि (कब से कब तक)	उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाईफ काउंसिल में पंजीकरण	प्रथम सेमेस्टर/वर्ष	द्वितीय सेमेस्टर/वर्ष	तृतीय सेमेस्टर
			संख्या	दिनांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
					पूर्णांक	प्राप्तांक
						पूर्णांक

(12) पोस्टल आर्डर का विवरण संख्या..... दिनांक—

(13) अपने से सम्बंधित सूचना पर सही निशान (✓) का निशान तथा शेष पर (x) अंकित करें।

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित वर्ग	स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना)	एन0सी0सी0 "बी" प्रमाण पत्र

(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

—:घोषणा:—

मैं एतद्वारा घोषणा करती हूँ—

मैंने विज्ञप्ति की सभी शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं वे मुझे मान्य हैं और वे शर्तें मैं पूरा करती हूँ। इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण/सूचनायें सत्य हैं और मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य पायी जायें अथवा कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति आती हैं तो मुझे सेवा से पृथक कर दिया जाये। इसके लिए मेरे द्वारा कोई दावा नहीं किया जायेगा।

संलग्नकों का विवरण—

स्थान.....

दिनांक.....

(अभ्यर्थी के पठनीय हस्ताक्षर)

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपिकाएं,
(अभिप्राप्ति, तिथि एवं पठनीय हस्ताक्षर सहित